



**जोधपुर विद्युत
वितरण निगम
लिमिटेड**

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा /प्र. 1678 दि. 13.03.18

आदेश


विषय:-कृषि उपभोक्ताओं की लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवदेनों के निस्तारण एवं स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के सदर्भ में।

कृषि उपभोक्ताओं को सतर्कता जांच से होने वाली कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए उनके लम्बित सतर्कता जांच प्रकरणों के एकमुश्त निस्तारण एवं स्वैच्छिक भार वृद्धि हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं-

1. कृषि कनेक्शनों (नियमित उपभोक्ता) की समस्त लम्बित वीसीआर का मूल निर्धारण राशि (कम्पाउन्डिंग व सिविल लाईबिलिटी) की 10 प्रतिशत राशि जमा कराने पर एकमुश्त निस्तारण कर दिया जावेगा। यह योजना दिनांक 30.06.2018 तक लागू रहेगी।
2. अब नियमित कृषि उपभोक्ताओं की सतर्कता जांच नहीं की जावेगी।
3. ऐसे कृषि उपभोक्ता जो अपने बढे हुए भार को नियमित कराना चाहते हैं, वे दिनांक 30.04.2018 तक बढे हुए भार की स्वैच्छिक घोषणा कर सकेंगे एवं इस योजना के अन्तर्गत उनका बढा हुआ भार आदेश संख्या वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम-813 दिनांक 30.08.2017 के प्रावधानों के अनुरूप नियमित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे। समस्त क्षेत्रीय अधिकारी उपरोक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से


(एम. आर. मीणा) 13.3.18

अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर